

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: प.7(3)कार्मिक/क-2/2008

जयपुर, दिनांक: 9-3-2009

परिपत्रादेश

विषय:- अधिसूचना दिनांक 25.4.2008 को न्यायालय द्वारा स्थगित किये जाने के सन्दर्भ में।


राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में अधिसूचना दिनांक 25.4.2008 द्वारा निम्न प्रकार से प्रावधान वर्णित किये गये थे:-

Amendment.- The following existing proviso to rule as mentioned in Column No. 3 against each of the Service Rules, listed in Column No. 2 of the Schedule given below is hereby deleted, namely:-

"Provided that a candidate who has got the benefit of proviso inserted vide Notification No. F.7(1)DOP/A-II/96 dated 01.04.1997 on promotion to an immediate higher post shall not be reverted and his seniority shall remain unaffected. This proviso is subject to final decision of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ petition (Civil) No. 234/2002 All India Equality Forum V/s Union of India and others."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः सभी सम्बन्धितों को तदनुसार सूचित किया जाता है।



(परविन्दर सिंह)

शासन प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
4. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, लोकायुक्त, राज. जयपुर।
6. सचिव, राज. विधानसभा, जयपुर।
7. पंजीयक, राज. उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
8. पंजीयक, राज. सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण, जयपुर।



(बी.के. दोसी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राज. जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव